न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 19/2024

बउनवान

1. ऋषिराज पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर
2. कांतिबाई पुत्री गोबरीलाल जाति गुर्जर
3. किशोरबाई पत्नी स्व. चतुर्भुज जाति गुर्जर
4. गोपालीबाई पत्नी स्व. गोबरीलाल जाति गुर्जर
5. नन्दबिहारी पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर
6. भुगोतीशंकर पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर
7. मोनू पुत्र कमलेश जाति गुर्जर
8. राजेन्द्र पुत्र गोबरीलाल जाति गुर्जर
9. संतोषबाई पत्नी स्व. कमलेश कुमार जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम कलमण्डा तह० व जिला बारां राजस्थान — अपीलांटगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां — रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी इंतकाल संख्या 2165 दिनांक 11–10–2021 (प्रशासन गांव के संग अभियान)
न्यायालय तहसीलदार बारां
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थितः 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक — (अपीलांटगण)
2. पेरोकार सरकार — (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 19.03.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 2165 दिनांक 11–10–2021 (प्रशासन गांव के संग अभियान) न्याय कानून एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण के द्वारा अपने पूर्व हक अधिकारी किशनलाल जी की मृत्यु के उपरांत उनके खातेदारी की आराजी पर इंतकाल खुलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान मे प्रस्तुत किया था जिस पर अपीलांटगण द्वारा राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो के कहने पर वर्तमान जमाबंदी लाने हेतु कहा गया परन्तु अपीलांटगण को खसरा नम्बर याद नही होने के कारण ईमित्र से किशनलाल गुर्जर के नाम से जमाबंदी निकलवाई तथा उसे राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो को दे दिया तथा राजस्व अधिकारियो द्वारा प्रशासन गांव संग अभियान मे मृतक किशनलाल के वारिसान की तहकीकात कर उक्त नामान्तकरण सं0 2165 खोल दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलांटगण के पूर्व हक अधिकारी मृतक किशनलाल गूर्जर का पूर्व में ही उनके खाते की आराजियात का इंतकाल राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा खोला जा चुका था परन्तु ईमित्र पर किशनलाल पुत्र नाथूलाल जाति गुर्जर का खाता देखकर – अपीलांटगण द्वारा सहवन से उक्त खाते पर अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने हेतु गलती से एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान मे लगा दिया जिस कारण यह इंतकाल खुला है जबकि ग्राम कलमण्डा के खसरा नम्बर 1811 व खसरा नं0 1812 कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हेक्टे० आराजी अपीलांट के पूर्व हक अधिकारी की न होकर दीगर व्यक्ति किशनलाल पुत्र नाथूलाल जाति गुर्जर की थी। अपीलांटगण द्वारा सहवन से तथा अपने खातो की सही जानकारी नही होने के कारण उक्त इंतकाल हेतु ... किया था जो अपीलांटगण के पक्ष मे गलत तस्दीक हो जाने के कारण निरस्त किये जाने ... है ... अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तकरण ... 2165 दिनांक 11–10–2021 निरस्त किया जाकर पूर्व खातेदार किशनलाल ... नामान्तकरण ... स्थिति अनुसार ... किया जावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान ... जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांटगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलांटगण के पूर्वज किशनलाल जी की मृत्यु उपरांत अपीलांटगण द्वारा कोम्प में ई मित्र से जमाबंदी निकलवाकर आवेदन करने पर खोला गया है जो कि अपीलांटगण की गलती से खोला गया है जबकि अपीलांटगण के पूर्वज किशनलालजी का इंतकाल तो राजस्व कर्मियों द्वारा पूर्व में ही खोला जा चुका था। अपीलाधीन नामान्तकरण दीगर व्यक्ति किशनलाल पुत्र नाथूलाल जाति गुर्जर की आराजीयात का खोला गया है जबकि उक्त आराजी अन्य व्यक्ति की है जिस पर अपीलांटगण का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलांटगण के पूर्वज की आराजी पर तो पूर्व में ही राजस्व कर्मियों द्वारा नामान्तकरण खोला जा चुका था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम कलमंडा का नामान्तकरण संख्या 1165 दिनांक 11.10.2021 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम कलमंडा में खातेदार का नाम, उसके पिता का नाम तथा जाति एवं निवास स्थान एक समान होने तथा प्रशासन गांव के संग अभियान में कार्य की अधिकता होने के कारण राजस्व कर्मियों द्वारा उक्त नामान्तकरण खोलने में त्रुटि हुई है तथा त्रुटि की जानकारी होने पर स्वंय अपीलांटगण ने उक्त नामान्तकरण को निरस्त किये जाने हेतु उक्त अपील पेश की है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

चूंकि अपीलांटगण स्वंय ने उक्त नामान्तकरण उनकी गलती के कारण खोला जाना तथा इसे निरस्त किया जाना अपील में अंकित किया है तथा उपस्थित पटवारी हल्का ने भी उक्त नामान्तकरण गलत दर्ज होने का कथन करते हुए इसे खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामान्तकरण संख्या 1165 दिनांक 11.10.2021 निरस्त किया जाकर पूर्व स्थिति अनुसार किशनलाल पुत्र नाथूलाल गुर्जर के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested